

6/6/18

पत्रावली राजस्व लोक सेवा आयोग  
 द्वारा कोर्ट द्वारा वास्तु में प्रमाणित  
 पत्रावली का अवलोकन लोक सेवा आयोग  
 की मानता है किया गया। नवीन  
 जारी है। अपावगीतों को नहीं है  
 जिनके अनुसार दिने जाने के बावजूद  
 भी व्यय नहीं किया गया।  
 नवीन जारी। अपावगीतों उपर नहीं  
 मूलकाद अनुसार ही कदम धारी  
 में खारिज हो चुका है। अब  
 इस उर्वरिता फंड 212 RTA का चलाने  
 का कोई अंतर्द्वेष शेष नहीं रह  
 जाता है। अब उर्वरिता फंड 212 RTA  
 खारिज किया जा रहा है। पत्रावली  
 अंतर्गत सुपा है। इति नमः

6/6/18

NAD/18

सहायक

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक सचिव (जयपुर)